: :न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला–झालावाड़ (राज.): :

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्रकरण संख्या	:	**313/2016**
सीआईएस नंबर	:	**1167/2016**
एफआईआर सं	:	**251/2014**
सीएनआर नंबर	:	**RJJW08-000372-2016**

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला–झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 साल
2. बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र रामचन्द्र उम्र 40 साल निवासीगण डुंगरगांव की टापरिया थाना भालता जिला झालावाड राज0

अभियुक्तगण.......

अपराध अन्तर्गत धारा 447, 427/34 भा.दं.सं.

उपस्थितः–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री सुनील कुमार पारेता विद्वान अधिवक्ता., अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः– 7.03.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01/10/14 को फरियादीया श्रीमती मांगीबाई पत्नी कैलाश पुत्र रोडूलाल उम्र 25 साल निवासी पालखन्दा थाना घाटोली द्वारा पेश किया हुआ एक इस्तगासा न्यायालय श्रीमान से इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रार्थिया ने मुलजिमान कैलाश वगैरा पर 498 ए का दावा कर रखा है। जिसका मुकदमा मान्य न्यायालय मे जेर सरकार है। इसी अदावत से पांचो मुलजिमान ने एक राय होकर रंजिश की वजह से मदन पटेल, कन्हीराम, अमरसिंह और उसके पिता रोडूलाल की खड़ी मक्का काट दी वही पटक दी तथा छान के खपरो में आग लगा दी जिससे उसे 5000/–रूपये का नुकसान हुआ। मुलजिमान ने चिट्ठी भेजी जो संलग्र है। पांचो मुलजिमानो ने रात को ही मक्का काट कर आग लगा दी। जब उन्हें मालुम पड़ा तो उन्होंने मुलजिमान को भागते हुए पहचान लिया। पांचो मुलजिमान ने जान बुझकर फसल को नुकसान पहुँचाया है व आग लगायी है। मुलजिम कैलाश उसका पति है। गवाह कन्हीराम, अरमसिंह, मदन पटेल ने वाका देखा है। ....इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 251/2014 अन्तर्गत धारा 143,427,435 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण कैलाश, बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह के विरूद्ध धारा 447, 427/34 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में दिनांक 23–11–2016 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

3. अभियुक्तगण कैलाश, बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह के विरूद्ध धारा 447, 427/34 भा.दं.सं. का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**
पी.डब्ल्यू—1	मानसिंह
पी.डब्ल्यू—2	बक्सुलाल
पी.डब्ल्यू—3	रोडूलाल
पी.डब्ल्यू—4	ओमप्रकाश
पी.डब्ल्यू—5	मांगीबाई
पी.डब्ल्यू—6	नन्दुबाई

5. अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची

अभियोजन पक्ष

कमांक	**प्रदर्श कमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी 1	फर्द नक्शामौका
2.	प्रदर्श पी 3	इस्तगासा

6. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

7. बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

बचाव साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार** **(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)**

निल	निल	निल

8. **बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची**

बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 2	पुलिस बयान रोडूलाल
2.	प्रदर्श पी 4	पुलिस बयान मांगीबाई
2.	प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान नन्दूबाई

9. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11. बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि–

1– क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 1–10–2014 से पूर्व किसी समय ग्राम मौजा पालखन्दा में फरियादिया व उसके गांव के लोगों के खेत में अनाधिकृत रूप से खडी मक्के की फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से काटकर व जलाकर रिष्टि कारित की?

2– यदि हाँ, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष प्रकरण की मुख्य साक्षी स्वयं फरियादिया मांगीबाई पीड–05 है, ने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि पालखंदा गांव में उसका पीहर है। आज से करीब 15 वर्ष पूर्व टापरिया निवासी कैलाश के साथ हुआ था। कैलाश से उसके एक बच्चा पैदा हुआ था। वह बच्चे को लेकर गांव आ गई थी। झगड़े

का मामला निपट गया है। अब नाते चले गई है तथा वह अच्छे से रह रही है। कैलाश ने किसके खेत में आग लगाई थी, उसे पता नही है, कब लगाई थी यह भी उसे पता नही है। वह कोई कार्यवाही नही चाहती। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि कैलाश और बनेसिंह उसके नाते जाने पर झगड़े के पैसे मांगते हो जिसके कारण से उन्होंने उसकी फसल में आग लगा कर नुकसान किया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसका विवाद होने के कारण रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी3 किसने लिखी थी, उसे पता नही, उसनें तो केवल एक्स स्थान पर अंगूठा किया था। पुलिस बयान प्रदर्श पी4 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि कैलाश और बनेसिंह उसके खेत में लगाकर फसल का नुकसान किया हो। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उनके समाज की पंचायत में राजीनामा हो गया है।

13. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 6 नन्दुबाई ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि उसकी लड़की मांगीबाई का विवाह आज से करीब 15 साल पहले कैलाश के साथ किया था। इसके बाद कैलाश से विवाद होने के बाद उसकी बेटी को दूसरी जगह नाते रख दिया था। उनका कैलाश से राजीनामा हो गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नही लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि कैलाश और बनेसिंह उसके खेत में आग लगाकर फसल का नुकसान किया हो। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उनके समाज की पंचायत में राजीनामा हो गया है।

14. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 3 रोडूलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि उसकी पुत्री मांगीबाई का विवाह आज से करीब 20 साल पहले टापरिया गांव के कैलाश के साथ हुआ था। विवाह के बाद उसके पति का उसके ससुराल वालो से विवाद हो गया था जिसके संबंध में उसने केस भी किया था। आज से करीब 12 साल पहले की बात है। कन्हीराम के खेत से मक्का काट कर ले जाने की बात उसने गांव वालों से सुनी थी। उसने किसी को मक्का की फसल काटते हुए ले जाते हुए नही देखा। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी2 का ए से बी भाग उसने

पुलिस को नही लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि कन्हीराम के कब्जे कास्त के खेत में से कैलाशचंद, बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह ने मिलकर मक्का की फसल काटकर नुकसान कर दिया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी बेटी मांगीबाई ने मक्का काट कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि कैलाश की शादी उसकी पुत्री मांगीबाई से ही हुई थी। उनका रिश्ता बिगड गया था। उन्होंने पंचायत करके समझौता करके मांगीबाई और कैलाश को अलग–अलग कर दिया था। अब उनका मुलजिमान् कैलाश और बनेसिंह से कोई झगड़ा नही है। वह मुलजिमान् कैलाश औन बनेसिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहते। उसने मुलजिम कैलाश और बनेसिंह को फसल काटकर ले जाते हुए नही देखा।

15. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 1 मानसिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि वह कन्हीराम और मांगीबाई को जानता है। कन्हीराम का ससुराल उनके गांव में है। कन्हीराम और मांगीबाई के खेत के मक्का काटने की कोई बात उसने नही सुनी और ना ही देखी। पुलिस उसके सामने कन्हीराम के खेत पर मौका देखने नहीं गई और ना ही उसके सामने कोई मौका मुआयना किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आज से करीब 12 साल पहले कन्हीराम, मांगीबाई के खेत से मक्का की फसल काटकर कैलाश वगैरा ले गये हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का मौका उसके सामने बनाया हो। नक्शा मौका प्रदर्श पी1 पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी पुलिस ने कराया हो तो उसे पता नही है, वह अनपढ़ आदमी है, अज खुद कहा कि वह कभी थाने पर नही गया। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिमान् उसके जानकार के होने से उनको बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस ने उससे कही भी अंगूठा नही कराया। उसके सामने पुलिस गांव में भी नहीं आई।

16. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 2 बक्सुलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि वह कन्हीराम और मांगीबाई को जानता है। कन्हीराम का ससुराल उनके गांव में है। कन्हीराम और मांगीबाई के खेत के मक्का काटने की कोई बात उसने नही सुनी और ना ही देखी। पुलिस उसके सामने कन्हीराम के खेत पर मौका

देखने नही गई और ना ही उसके सामने कोई मौका मुआयना किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि आज से करीब 12 साल पहले कन्हीराम, मांगीबाई के खेत से मक्का की फसल काटकर कैलाश वगैरा ले गये हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का मौका उसके सामने बनाया हो। नक्शा मौका प्रदर्श पी1 पर वाई स्थान पर उसका अंगूठा निशानी पुलिस ने कराया हो तो उसे पता नही है, वह अनपढ़ आदमी है, अज खुद कहा कि वह कभी थाने पर नहीं गया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसके सामने पुलिस गांव में भी नहीं आई। पुलिस ने उससे कही भी अंगूठा नहीं कराया।

17. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 4 ओमप्रकाश ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 14.11.2014 को पुलिस थाना घाटोली में एएसआई/आईसी थाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 251/2014 की पत्रावली बाद अनुसंधान आईओ श्री भवंरसिंह हैड कानि. 302 ने उसे सुपुर्द करी। उसने पत्रावली का अवलोकन कर मुलजिमान् कैलाश, बन्नेसिंह उर्फ भगवानसिंह के खिलाफ धारा 447, 427, 34 आईपीसी के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसने चार्जशीट दिनांक 14.11.2014 को कता की थी। पत्रावली के आधार पर उसने चार्ज शीट कता की थी, उसने क्या देखा था, उसे पता नही है।

18. उपरोक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादिया मांगीबाई द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी3 में यह कथन किया गया है कि फरियादिया ने मुलजिमान कैलाश वगैरहा पर धारा 498ए भादस का दावा कर रखा है। इसी अदावत से मुलजिमान ने एक राय होकर रंजिश की वजह से मदन पटेल, कन्हीराम, अमरसिंह व उसके पिता रोड़ूलाल की खडी मक्का काट दी तथा छान के खपरो में आग लगा दी जिससे उसे 5000/—रुपये का नुकसान हुआ। आगे कथन किया है कि मुलजिमानों ने उसकी फसलों में नुकसान पहुंचाकर आग लगाई है। इस संबंध में फरियादिया मांगीबाई पीड–5 के रूप में न्यायालय के परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करती है कि कैलाश ने किसके खेत में आग लगाई थी उसे पता नही है तथा कब लगाई थी यह भी उसे पता नही है। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुई है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस

सुझाव से इन्कार किया कि कैलाश और बनेसिंह उसके नाते जाने पर झगड़े के पैसे मांगते हो जिसके कारण से उन्होंने उसकी फसल में आग लगा कर नुकसान किया हो। रिपोर्ट प्रदर्श पी3 किसने लिखी थी, उसे पता नही, उसनें तो केवल एक्स स्थान पर अंगूठा किया था। पुलिस बयान प्रदर्श पी4 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि कैलाश और बनेसिंह उसके खेत में लगाकर फसल का नुकसान किया हो। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि स्वंय फरियादिया द्वारा अपने इस्तगासे में कैलाश व बनेसिंह द्वारा उसके खेत में मक्का की फसल को काटने व छपरों में आग लगाने बाबत कथन किया है वही स्वंय न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में यह कथन करती है कि कैलाश व बनेसिंह द्वारा उसके खेत में आग लगाकर फसल को नुकसान नही किया है। ऐसे में उक्त् फरियादिया के बयानों में भारी विरोधाभास प्रकट होता है जिसने न्यायालय के समक्ष इस्तगासे में वर्णित तथ्यों की ताईद अपने बयानों में नही की है। इस संबंध में गवाह नन्दुबाई पीड–6 जो कि न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही हुई है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि उनका कैलाश से उनका राजीनामा हो गया है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नही लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि कैलाश और बनेसिंह उसके खेत में आग लगाकर फसल का नुकसान किया हो। ऐसे में न्यायालय के समक्ष उक्त गवाह ने कैलाश व बनेसिंह द्वारा उसके खेत में आग लगाने व फसल को नुकसान करने बाबत कोई कथन नही किया है। इस संबंध में गवाह पीड 3 रोडूलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि कन्हीराम के खेत से मक्का काट कर ले जाने की बात उसने गांव वालों से सुनी थी। उसने किसी को मक्का की फसल काटते हुए ले जाते हुए नही देखा। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी2 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नही लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि कन्हीराम के कब्जे कास्त के खेत में से कैलाशचंद, बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह ने मिलकर मक्का की फसल काटकर नुकसान कर दिया हो। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसने मुलजिम कैलाश और बनेसिंह को फसल काटकर ले जाते हुए नही देखा। गवाह पीड–1 मानसिंह व पीड–2 बक्सुलाल जो कि न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है जिन्होंने बयानों में एक स्वर में यह कथन किया कि उन्होंने कन्हीराम व मांगीबाई के खेत के मक्का काटने की बात ना ही देखी थी और ना ही सुनी थी। ऐसे मे

न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र गवाह पीड–1 मानसिंह, पीड–2 बक्सुलाल व पीड–3 रोडुलाल ने कैलाश व बनेसिंह द्वारा मांगीबाई व कन्हीराम के खेत की फसल में आग लगाने व मक्के की फसल को काटने बाबत कोई कथन नही किये है।

19. उपर्युक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादिया मांगीबाई के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी3 में वर्णित कथनों एवं न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में विरोधाभास प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के स्वतंत्र गवाह पीड–1 मानसिंह, पीड–2 बक्सुलाल व पीड–3 रोडुलाल, पीड–6 नन्दुबाई ने अपने बयानों में कैलाश व बनेसिंह द्वारा फरियादिया व उसके गांव वालो के खेत के मक्के की फसल को काटने व आग लगाने बाबत कथन नही किये हैं। ऐसे में प्रकरण में प्रस्तुत स्वतंत्र गवाह पीड–1 मानसिंह, पीड–2 बक्सुलाल व पीड–3 रोडुलाल, पीड–6 नन्दुबाई ने भी इस्तगासा प्रदर्श पी3 में वर्णित कथनों की ताईद नही की है।

20. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के संबंध में संदेह से परे मामला साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री एवं समस्त गवाहन के बयानों के अवलोकन सें अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 1–10–2014 से पूर्व किसी समय ग्राम मौजा पालखन्दा में फरियादिया एवं उसके गांव वालों के खेत में अनाधिकृत रूप से खडी मक्के की फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से काटकर व उसमें आग लगाकर रिष्टि कारित की।

21. अतः अभियुक्तगण 1. कैलाश पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 साल, 2. बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र रामचन्द्र उम्र 40 साल निवासीगण डुंगरगांव की टापरिया थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 447, 427/34 भादस में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

22. अतः **अभियुक्तगण 1. कैलाश पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 साल, 2. बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र रामचन्द्र उम्र 40 साल निवासीगण डुंगरगांव की टापरिया थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 447, 427/34 में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** किया जाता है।

23. अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह प्रकरण में अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु **धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000–10,000/– के जमानत मुचलके** पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्तगण के पूर्व के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

24. निर्णय आज दिनांक 7–03–2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

SAKSHI CHAWLA

Steno Gr-II "Authenticate document"
Digitally signed by SAKSHI CHAWLA
Date: 2026.03.09 16:06:21 +0530

नोटः—यह प्रतिलिपि प्रार्थी / अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।